नम्बर /वर्ष – 27/2023 अनवानी मनरूप बनाम महेश कुमार

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
24/10/25	प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पर उभयपक्षो को सुना गया विवेचन निम्नप्रकार से है प्रार्थी /गैरसायल महेश कुमार के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 251 क के तहत पेश कर सार्वजनिक रास्ता का निवेदन किया गया है तथा स्वीकृतशुद्वा रास्ते को विलोपित करने का भी कथन किया गया है व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क की परिधि में नही है एवं 251 क के प्रावधानो के अनुरूप नही है प्रार्थीगण ने पूर्व में स्वीकृतशुद्वा रास्ता जो की राजस्व रिकार्ड में दर्ज है रोही मौजा मेधाना के खसरा न0 279 की कुल 0.228हैक्ट भूमि में दर्ज है जिसे विलोपित /निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा गया है जो की 251 क के प्रावधानो में नही होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज योग्य है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 के प्रावधानो के अनुरूप नही होने के कारण खारिज फरमावे। प्रार्थीगण /अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहरातें हुए निवेदन किया की प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अनुतोष है कि अराजी राज पगडंडिया रास्ते गांव खोपडा व मेधाना को आपस में जोडने के लिये खाता संख्या 1/1 के खसरा न0 279 में से 0.006325है भूमि को खाता संख्या 308/309 के खसरा न0 283/3 में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 बहिब खातेदार दर्ज कर बदले में खसरा न0 283/3 की 0.0006325 भूमि को खाता संख्या 1 में पगडंडिया तथा रास्ते में गै0मु0 दर्ज करवा पाने के अधिकारी है जो धारा 251ए की जद में आता है प्रार्थना पत्र सीपीसी के प्रावधान लागु नही होते है केवल वाद व अपील की कार्यवाही पर ही लागू होते है दोनो रास्तों के मध्य खसरा न0 283/3 में गै0मु0रास्ता दर्ज नही होने से ग्रामवासियो के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है रास्ते की बदले में सम्बधित खातेदार भूमि देने के लिये सहमत है प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र केवल देरीना करने के लिये पेश किया गया है जिसे खारिज किया जाकर प्रकरण में आगामी कार्यवाही फरमावे। हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र 251 ए के तहत प्रस्तुत किया जाकर अराजी राज पंगडंडियो रास्ते गांव खोपडा व मेधाना को आपस में जोडने के लिये रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 1/1 के खसरा न0 279 में से गै0मु0 भूमि को खाता संख्या 308/309 के खसरा न0 283/3 में अप्रार्थीगण के नाम बहिब दर्ज किया जावे एव इसके बदले में खसरा न0 283/3 की भूमि पंगडंडिया तथा रास्ते में गै0मु0 दर्ज किया जावे प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के अनुतोष से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण गै0मु0 भूमि को अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज करवाकर बदले में रास्ते में भूमि देना चाहते है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए के प्रावधानो के अनुसार कोई भी खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि में पहुचने के लिये सुगम रास्ता स्वीकृत करवा सकता है जिसके बदले में भूमि या बाजार भाव से मुल्य देने का प्रावधान है तहसीलदार नोहर की मौके रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि गै0मु0 भूमि को बतौर खातेदार दर्ज करवाकर सम्बधित काश्तकार के द्वारा रास्ते के लिये भूमि देने का प्रावधान 251 ए के प्रावधानो में नही है। 251 ए प्रावधानो के अनुसार गै0मु0 भूमि को काश्तकार के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर बदले में रास्ते के लिये भूमि	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:14:12 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

लिये जाने का प्रावधान नही है 251 ए के प्रावधानो के तहत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रास्ता को निरस्त करने का प्रावधान नही है केवल मात्र रास्ता स्वीकृत कर बदले में सम्बधित काश्तकार को भूमि या बाजार भाव से राशि देकर क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान है

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र गै0मु0 भूमि को अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज करवा कर बदले में रास्ते के लिये भूमि देने का अनुतोष चाहा गया है जो 251 ए प्रावधानो के तहत दिया जाना उचित नही है। प्रार्थीगण का कथन है प्रार्थना पत्र 151 केवल अपील में ही पेश किया जा सकता है प्रार्थना पत्र में नही प्रार्थीगण का कथन मान भी लिया जावे तो गेरसायल किसी भी प्रार्थना पत्र की जरिये 251 ए प्रावधानो के बारे में अवगत करवा सकता है गैरसायल /प्रार्थीगण के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 ए की प्रावधानो के अनुरूप नही है जो प्रार्थीगण के अनुतोष अनुसार सही पाया जाता है 251 ए के प्रावधानो के तहत गै0मु0 भूमि को काश्तकार के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर रास्ता देने/स्वीकार करने का प्रावधान नही है केवल नया रास्ता स्वीकार किया जा सकता है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 ए प्रावधानो के अनुरूप नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः प्रतिवादी/प्रार्थी की प्रारम्भिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251ए के प्रावधानो के अनुरूप रास्ता स्वीकार करने का नही होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है तथा प्रार्थीगण सक्षम धाराओ में सक्षम न्यायालय में कार्यावाही करने हेतु स्वतन्त्र रहेगा पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 24/10/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास सुनाया गया।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:14:12 IST
Reason: SelfAttested